



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13338

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 513 सन् 2026

हिमांशिनी

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

...प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: सीताराम यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., प्रांजल मेहरोत्रा

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.आर. यादव और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया। श्री प्रांजल मेहरोत्रा ने प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से नोटिस स्वीकार किया है।

2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि पूर्व में उनका तबादला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, छावनी, वाराणसी से स्वास्थ्य केंद्र सिकरौल, वाराणसी में कर दिया गया था। उक्त तबादला आदेश रिट-ए संख्या 7470/2025 (हिमांशिनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में रद्द कर दिया गया था, हालांकि, याचिकाकर्ता को अक्टूबर 2024 से जुलाई 2025 तक का वेतन नहीं दिया गया है।

3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय सर्वप्रथम प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा किया जाना चाहिए।

4. बार में दिए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रति प्रत्यर्थी संख्या 5 के समक्ष प्रस्तुत करें, जो उक्त निवेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20 जनवरी 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।